



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235191
CG-DL-E-19042022-235191

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1749]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 1749]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

का.आ. 1839(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, रोहतक-भिवानी रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-709 ई) के किमी 90.400 पर व्हीकलर अंडरपास के निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH709E पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला राजस्व अधिकारी रोहतक	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	हरियाणा	रोहतक	कलानौर	1 कलानौर कलाँ

		NH709E के कि.मी. 89.92 से 90.9 तक				2 जिंदरान कलाँ
--	--	--	--	--	--	----------------

[फा. सं. RW/NH-12014/1520/HR/2022/Z-II]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th April, 2022

S.O. 1839(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of Vehicular Underpass at km 90.400 of Rohtak-Bhiwani road (NH-709E) in the State of HARYANA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH709E in the State of HARYANA**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer Rohtak	89.92KM To 90.9KM	HARYANA	ROHTAK	Kalanaur	1 Kalanaur Kalan
						2 Jindran Kalan

[F. No. RW/NH-12014/1520/HR/2022/Z-II]

RAJESH GUPTA, Director